

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक 07.12.18

विभागीय संकल्प संख्या-3664 दिनांक 02.08.2016 एवं संकल्प सं०-5366 दिनांक 18.10.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम- 43 (बी0) के तहत सम्परिवर्तित श्री सरोज कुमार, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार वर्मा, अवर सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के दिनांक 31.08.2018 को सेवा निवृत्त हो जाने कारण उनके स्थान पर प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-8 ए को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. संकल्प की अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(देवकीनन्दन दास)

सरकार के उप सचिव,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-07.12.18

ज्ञापांक-8/आ0 (राज0 उ0)-02-31/2015 - 4015 /
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई-गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-8/आ0 (राज0 उ0)-2-31/2015 - 4015 /

प्रतिलिपि:- संचालन पदाधिकारी श्री श्रीकृष्ण पासवान, संयुक्त आयुक्त उत्पाद, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-8 ए एवं श्री सरोज कुमार, सेवा निवृत्त अधीक्षक उत्पाद, ग्राम-यारपुर, पो0-योगीपुर, थाना-हिलसा, जिला-नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।